डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

जंगलिया बनाम छरचंदी वगै0

दावा बाबत 53, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 31/2022

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी व प्रतिवादी को मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट तहसीलदार नदबई दिनांक 08.11.2024 के अनुसार अंकित आराजी खसरा नम्बर वाके ग्राम अगनपुरा तहसील स्थित नदबई के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्रे विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.11.2024 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 08.11.2024 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

बेज – मुबलिग – – –

– – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के गयरुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 28.04.2025 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत————————

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री गंगाधर मीना (R.A.S.)

दावा सं.	रजू दिनांक	अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
31/2022	08.04.2022	28.04.2025

उनवान

1. जंगलिया पुत्र रामचरन जाति जाटव निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. हरचन्दी पुत्र नत्थी जाति जाटव निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री राजू सिंह एडवो० (वादी की ओर से)

श्री लखन भातरा एडवो० (प्रतिवादीगण की ओर से)

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीए एक्ट

—: निर्णय :—

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र आराजी खसरा नंबर 295 रकबा 0.33 हैक्ट0 तथा 297 रकबा 0.30 हैक्ट0 वाके ग्राम अगनपुरा तहसील नदबई में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सानुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के कुरेजात किए जाकर वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड कानूनी बंटवारा किया जाकर वादी को उसके हिस्से के कुरे का न्यारानूर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा अलग अलग लगान कायम किया जावे।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री लखन भातरा एडवोकेट उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

वादपत्र में दिनांक 03.06.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार नदबई द्वारा दिनांक 08.07.2024 को कुरे विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में भिजवाए गए। प्रतिवादी वकील द्वारा उक्त कुरेजात विभाजन

28/4/25

प्रस्ताव पर जबाव पेश नहीं करते हुए सीधे ही बहस की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई जिसके निर्णयानुसार तहसीलदार नदबई को विवादित आराजीयात के विभाजन प्रस्ताव पुनः भिजवाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार नदबई द्वारा उक्त विवादित आराजीयात के कुरे विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.11.2024 तैयार कर न्यायालय हाजा में भिजवाए गए। पत्रावली बहस कुरा रिपोर्ट हेतु नियत की गई जिस पर वादी अधिवक्ता द्वारा कुर्रा रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र/ऐतराज कुर्रा पेश किया गया। पत्रावली बहस आपत्ति प्रार्थना पत्र हेतु नियत की गई।

वादी एवं प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस कुर्रा रिपोर्ट आपत्ति प्रार्थना पत्र बाबत् सुनी गई। वादी अधिवक्ता के दौरान बहस कथन रहे कि उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर 296 नगर नदबई मार्ग पर तथा खसरा नंबर 297 पीछे की ओर स्थित है। वादी द्वारा दिनांक 04.05.2021 को आराजी क्रय की थी जिस पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा प्राप्त करने से पूर्व ही स्थगन न्यायालय हाजा से जारी करवा लिया परन्तु प्रतिवादी हरचंदी ने स्थगन आदेश के बावजूद भी उक्त आराजीयात पर पक्की दीवार खडी कर दी एवं आराजी खसरा नंबर 296 वाके ग्राम अगनपुरा को कब्जे में ले लिया तथा वादी को पीछे का हिस्सा दे दिया गया। तहसीलदार नदबई द्वारा दिनांक 08.07.24 को जो कुर्रा रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें वादी एवं प्रतिवादी को बाहिस्सा बराबर आराजी हिस्से में आई थी जबकि दिनांक 08.11.24 के कुर्रा विभाजन प्रस्ताव में आराजी खसरा नंबर 296 वाके ग्राम अगनपुरा संपूर्ण ही प्रतिवादी को दे दिया गया। कुर्रा विभाजन प्रस्ताव अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी के आधार पर तैयार नहीं की गई है एवं न ही रिपोर्ट पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर लिए गए हैं। अतः कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 08.11.24 को अस्वीकार करते हुए दावा कुर्रा विभाजन प्रस्ताव 08.07.24 के अनुसार निर्णित किया जाए।

प्रतिवादी अधिवक्ता के बहस के दौरान कथन रहे कि प्रतिवादी द्वारा दावा के निस्तारण को बेवजह लंबित करने की श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई के जबाव मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज किया गए क्योंकि मुन्तकिल प्रार्थना पत्र सारहीन पेश किए गए थे। विवादित आराजीयात पूर्व में ही दो भागों में विभाजित थी एवं 4 फीट ऊंची दीवार बनी हुई थी

28/4/24

जो कि प्रतिवादी द्वारा बनाई गई थी। वादी द्वारा ऑर्डर 39 नियम 2 का नोट लगाकर वयनामा रजिस्टर्ड करवाया गया था एवं मौके पर कब्जा भी नहीं लिया गया। उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी की पैतृक आराजी है जबकि वादी द्वारा बाद में क्रय की गई थी। अतः ऐतराज कुर्रा मय खर्चा खारिज किया जावे एवं दावा में अंतिम डिक्री जारी की जावे।

उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजी खसरा नंबर 296 व 297 के मध्य पक्की दीवार का निर्माण पूर्व में ही किया गया है जो कि वादी एवं प्रतिवादी की आराजी को अलग–अलग करती है। प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजी का क्रय स्थगन आदेश होने के उपरान्त भी वादी द्वारा किया गया जबकि उक्त आराजी बाबत् बंटवारे का दावा पूर्व में ही न्यायालय हाजा में विचाराधीन था जो कि अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। संभवतया उक्त उनवानी वादपत्र में वादी व प्रतिवादी के मध्य कोई समझौता आराजी के आपसी समझाईश से बंटवारे के आधार पर हुआ है। तत्पश्चात् वादी द्वारा क्रयशुदा आराजी के वयनामा को भी ऑर्डर 39 नियम 2 का नोट लगाकर रजिस्टर्ड करवाया गया है। वादी द्वारा कुरेजात विभाजन प्रस्ताव के संबंध में जो मुन्तकिल प्रार्थना पत्र श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में पेश की गई थी वह भी गुणावगुण के आधार पर संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किए गए थे। अतः वादी का ऐतराज कुर्रा/कुर्रा रिपोर्ट आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है एवं दावा निम्नानुसार डिक्री किया जाता है :–

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 296 रकबा 0.33 हैक्ट0 व 297 रकबा 0.30 हैक्ट0 पर वादी हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/2 के सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विवादित आराजीयात वाके ग्राम अगनपुरा तहसील नदबई में स्थित है।

वादी व प्रतिवादी को मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट तहसीलदार नदबई दिनांक 08.11.2024 के अनुसार अंकित आराजी खसरा नम्बर वाके ग्राम अगनपुरा तहसील स्थित नदबई के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्रे विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.11.2024 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 08.11.2024 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे

28/4/25

Scanned with OKEN Scanner

काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.4.25 .को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

28/4/25

(गंगाधर मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई

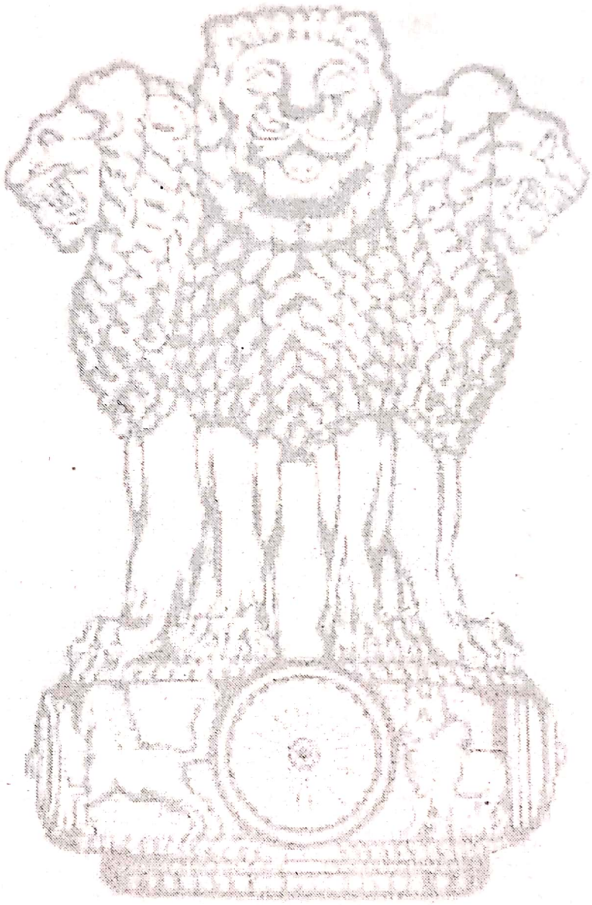

सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner